प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.01.2025

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 13 साईकिल बरामद।

दिनांक 28.10.24 को वादी जीतपाल सिंह शिशौदिया पुत्र अजब सिंह शशौदिया निवासी एमएच 271 शास्त्रीनगर तथा दिनांक 19.01.2025 को वादी अनुज गर्ग पुत्र स्व0 सतीश गर्ग निवासी के एल 154 कविनगर व वादी राजेश कौशिक निवासी एसजे शास्त्रीनगर ने द्वारा वादी के घर से साइकिल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी गयी। जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे,सर्विलान्स व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 19.01.2025 को अभियुक्त 1.विशाल उर्फ मानव पुत्र स्व0 किशन पाल 2. उमेश उर्फ लाला पुत्र स्व सतपाल 3. विकास कुमार पुत्र उदयराज 4. सोमनाथ कुमार पुत्र श्री संजय ठाकुर 5. मनोज तिवारी पुत्र रामपलक तिवारी को जैनमती उजागर इंटर कालेज कविनगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हमने दिनांक 28.10.24 तथा दिनांक 13.01.25 को शास्त्रीनगर तथा कविनगर क्षेत्र के अलग-अलग जगहों से साइकिल की चोरी की थी।

अभियुक्त का नाम पता-

1. विशाल उर्फ मानव पुत्र स्व0 किशन पाल निवासी गली नं0 5 एमएमएच कालेज का खाली मैदान के पास दौलतपुरा जयप्रकाश नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
2. उमेश उर्फ लाला पुत्र स्व सतपाल निवासी गली नं0 4 एमएमएच कालेज का खाली मैदान के पास दौलतपुरा जयप्रकाश नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम सरना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 18.5 वर्ष

3. विकास कुमार पुत्र उदयराज निवासी अरिहन्त स्टील कम्पनी लोहामंडी थाना कविनगर गाजियाबाद तथा मूल पता ग्राम कटघर पूरे चौहान थाना करौधी कलां जिला सुल्तानपुर उम्र 24 वर्ष
4. सोमनाथ कुमार पुत्र श्री संजय ठाकुर निवासी म0 नं0 20 सोनू का मकान न्यू ग्रीन पब्लिक स्कूल के पास सत्यम इन्कलेव के पास शाहपुर बम्हेटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम घुटिया सिमरा थाना माली जिला औरंगाबाद बिहार उम्र 30 वर्ष
5. मनोज तिवारी पुत्र रामपलक तिवारी निवासी दीपक एडवोकेट का मकान गली नं0 4 दौलतपुरा जयप्रकाश नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम कछनावा थाना बन्धुआ कलां जिला सुल्तानपुर उम्र 29 वर्ष

बरामदगी-

- 13 साईकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा छिनैती/चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व छीना हुआ 01 मोबाइल बरामद।

दिनांक 20.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान छिनैती/चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त प्रिन्स पुत्र सुभाष निवासी गली नं0 1 सबोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व छीना हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने दिल्ली से चोरी की थी तथा यह मोबाइल भी मैंने दिल्ली बजीराबाद से एक राह चलते व्यक्ति से छीना था। कुछ महीने पहले मैंने लोनी रोड पर सीएनजी पम्प के पास से एक लडके से एक मोबाइल छीना था जिसे मैंने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था और प्राप्त रूपये अपने शौक में खर्च कर दिये थे। आज मैं इस मोटरसाइकिल व मोबाइल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

प्रिन्स पुत्र सुभाष निवासी गली नं0 1 सबोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध दिल्ली में लूट/चोरी/स्नैचिंग/आर्म्स एक्ट आदि के कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना लोनी बॉर्डर पर स्नैचिंग व चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व छिनैती का 01 मोबाइल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.01.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को अभियुक्त दीपक पुत्र लखन द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन कर पीडिता की तलाश की गई।

तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त दीपक पुत्र लाखन निवासी बटियागढ थाना बटियागढ जिला दमोह, मध्य प्रदेश हाल पता- मरीना कम्पनी के पास झुग्गी रॉयल पार्क के पास आदित्य वर्ल्ड सिटी थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम मांडवा थाना पाथर्डी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से दिनांक 18.01.2025 को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड कराते हुए लाया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस तथा 3/4(2) पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता और मैं एक-दूसरे को पिछले काफी समय से जानते हैं। एक दिन मैं मौका पाकर पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र लाखन निवासी बटियागढ थाना बटियागढ जिला दमोह, मध्य प्रदेश हाल पता- मरीना कम्पनी के पास झुग्गी रॉयल पार्क के पास आदित्य वर्ल्ड सिटी थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

दिनांक 19.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त पवन कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी सब्लू गढी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्वाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह स्कूटी कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी। मैं इस चोरी की स्कूटी को बेचने लिए ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

पवन कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी सब्लू गढी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध दिल्ली में उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग , थाना लोनी पर मारपीट व गाली गलौच करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 09 जुआरी अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 50370/- रूपये , 52 ताश के पत्ते बरामद।

दिनांक 19-01-25 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हिन्डन विहार पार्किंग के पास से 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 50,370/- रूपये माल फड़ व 52 पत्ते ताश के बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. युसुफ पुत्र नसरुद्दीन निवासी शराफत वाली गली 45 फुटा रोड हिन्डन विहार उम्र- 42 वर्ष
2. आमिर पुत्र अली मोहम्मद निवासी गली नं0-4 तीस फुटा रोड हिन्डन विहार नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-32 वर्ष
3. हासिम पुत्र जमील अहमद निवासी हज हाउस के पास म0न0-12 न्यू हिन्डन विहार थाना साहिबाबाद उम्र-42 वर्ष
4. असलम पुत्र बसीरुद्दीन निवासी गली नं0-5 म0न0-329 हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-40
5. सगीर पुत्र शब्बीर निवासी गली नं0-5 हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-50 वर्ष
6. नदीम पुत्र शौकत अली निवासी म0न0-786 गली नं0-5 हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-48 वर्ष
7. शाहरुख पुत्र मौ0 शमीम निवासी म0न0-1017 मंदिर वाली गली हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष
8. सलमान पुत्र इकबाल अहमद निवासी म0न0-239 मदीना स्वीट्स के बराबर हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-34 वर्ष
9. परवेज पुत्र सगीर अहमद निवासी मोती मस्जिद के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली कमि0 गाजियाबाद उम्र-30 वर्ष मो0न0-8368446317

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग चोरी छिपे रात्रि के समय हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हैं।

बरामदगी का विवरण –

50,370/- रूपये माल फड़ व 52 पत्ते ताश

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान एल्कोन सोसाइटी के फ्लैट न0 जी एफ 01 ए/2 सेक्टर 03 वैशाली में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 04 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस्तेमाल 02 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 20.01.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा रात्रि में सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एल्कोन सोसाइटी के फ्लैट न0 जी एफ 01 ए/2 सेक्टर 03 वैशाली में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा एल्कोन सोसाइटी के फ्लैट न0 जी एफ 01 ए/2 सेक्टर 03 वैशाली में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 04 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित

01 अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र ऋषिपाल(ग्राहक) निवासी दुजाना थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 28 वर्ष व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) को मौके से ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस्तेमाल 02 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता (संचालिक/मैंनेजर) व अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पुछताछ का विवरण:-</u>गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त व पीड़ित महिलाओं से पुछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि महिला संचालिक द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-</u>

1. सुमित पुत्र ऋषिपाल(ग्राहक) निवासी दुजाना थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 28 वर्ष।
2. अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस्तेमाल 02 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता (संचालक/मैंनेजर) उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।